

प्रोफार्मा –8 (अनुसूची–3–11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु) के स्थान पर प्रथम/द्वितीय चरण में अपग्रेड का ऑप्शन लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध-पत्र

(रु. 500/- के स्टांप पर)

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी मध्यप्रदेश
के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.....
.... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संशोधन जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021 एवं 26 जुलाई 2022 तथा 10 मई 2023 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3- मैं अगले चरण/चरणों की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहता/चाहती हूँ।
- 4- अगले चरण/चरणों की काउंसलिंग में अपग्रेड न होने की स्थिति में मेरे द्वारा इस महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम पर पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा बॉण्ड एवं सीट लीविंग बॉण्ड, प्रोफार्मा- 8 के अनुसार सम्यक रूप से स्टांम्पित (0.5% of Bond Amount) शपथ पत्र पर अधिष्ठाता (शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पर) के नाम से निष्पादित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- (नाम, पता एवं मो0नं0)

1.....

2.....